न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./16208/2024 कोरबा, दिनांक 14/11/2024

प्रति,

दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी
उम्र–37 वर्ष, साकिन–क्वा0नं0–2/9 मानिकपुर,
चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली,
जिला–कोरबा (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **202404050400010/2024** में पारित आदेश दिनांक **14/11/2024** अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप **24 घंटे** के अन्दर जिला–कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले क्षेत्र से **एक वर्ष की अवधि** के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।

इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./16209/2024 कोरबा, दिनांक 14/11/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) उक्त आदेश की तामिली अनावेदक को तत्काल कराया जाकर पालन प्रतिवेदन सहित तामिली रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाये जाने हेतु अग्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला–कोरबा (छ0ग0) को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

दा0प्र0क्रं0–202404050400010 / 2024
(छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990
की धारा 3 एवं 5 के तहत्)

छ0ग0 शासन
द्वारा–पुलिस अधीक्षक कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

.....आवेदक

विरूद्ध

दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी
उम्र–37 वर्ष, साकिन–क्वाटर नंबर–2 / 9
मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली,
जिला–कोरबा (छ0ग0)

.....अनावेदक

/ / आदेश / /

(पारित दिनांक 14 / 11 / 2024)

(1) पुलिस अधीक्षक कोरबा (छ0ग0) के पत्र क्रमांक / पु.अ. / कोरबा / रीडर–1 / जि.ब. / 14 / 2024 दिनांक 03 / 04 / 2024 द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–03, 05 के तहत् प्रतिवेदन पेश करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ किया गया ।

(2) पुलिस अधीक्षक, जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष, साकिन–क्वाटर नंबर–2 / 9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला–कोरबा (छ0ग0) का निवासी है। अनावेदक गाली गलौच, मारपीट करना, जुआ खेलना जैसे अपराध में संलिप्त रहा है, अनावेदक वर्तमान में छ0ग0 क्रांति सेना का सदस्य के रूप में काम कर रहा है, अनावेदक वर्ष 2007 से लगातार अपने सहयोगियों के साथ थाना कोतवाली कोरबा, चौकी मानिकपुर, थाना बांकीमोंगरा तथा थाना दीपका क्षेत्र में सक्रिय होकर लूटपाट, मारपीट करना तथा जुआ खेलने का आदि है। अनावेदक पुलिस अधिकारियों के साथ भी झगड़ा करने से बाज नहीं आता, उक्त व्यक्ति के द्वारा छ0ग0 क्रांति सेना के आड़ में क्षेत्र में कार्यरत् ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदारो से अवैध वसूली करते आ रहा है और रकम नहीं देने पर वैध कार्यो पर भी अपने सहयोगियों को भेज कर विवाद करवाता है, जिससे काम बंद हो जायें। इस वजह से परेशान होकर ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदार भी चुपचाप रकम अदायगी कर देते है, सुचारू रूप से अपने कार्य संचालन हेतु रिपोर्ट नहीं करते। अनावेदक एक प्रकार के अघोषित गुण्डा टेक्स वसूली का काम करता है। अनावेदक अपने कृत्यों से आम लोगों के मन में भय दहशत पैदा

क्रमशः–02

कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। जिसके कृत्यों पर रोक लगाने हेतु समय–समय में भादवि/लधु अधिनियम के तहत् अपराध दर्ज कर एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर चालान/इस्तगाशा प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद भी अनावेदक के कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। प्रतिबंधित करने के बाद भी अनावेदक लगातार अपराध घटित करते आ रहा है, इसके कृत्यों से आम लोगों में भय व दहशत का माहौल है। लोग इसके डर से इनके कृत्यों को पुलिस के पास सूचना देने से भी डरते हैं, गवाह चाह कर भी उसके विरूद्ध न्यायालय में साक्ष्य देने से डरते है। अनावेदक आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसका समाज के बीच में स्वछंद विचरण करना हितकर नहीं है। अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बाद भी अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आया है, इसके विरूद्ध पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, थाना सिविल लाईन रामपुर, थाना बांकीमोंगरा में भी मामले दर्ज है। अनावेदक दिलीप कुमार मिरी आतंक का पर्याय बन चुका है, ऐसी स्थिति में इसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा–3,5 के प्रावधानों के अनुसार इसे कोरबा जिला के सीमा से बाहर जिला बदर किया जाना अत्यंत आवश्यक होने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3) अनावेदक के विरूद्ध की गई अपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, थाना कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध एवं इस्तगाशा विवरण–

(1) अपराध क्रमांक 601/2014 धारा–13 जुआ एक्ट– अनावेदक द्वारा रूपये का दांव लगाकर हार जीत का खेल खेलते पाये जाने से अनावेदक के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

(2) अपराध क्रमांक 455/2015 धारा–13 जुआ एक्ट–अनावेदक दिनांक 08.11.2015 के 1.30 बजे मानिकपुर पोखरी में अनावेदक द्वारा रूपये पैसे का दांव लगाकर हार जीत का खेल खेलते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

(3) अपराध क्रमांक 437/2016 धारा–147,186,332,294,506,504,353 भादवि– प्रार्थी ग्लिेटबिन पिता विमल कुमार उम्र–59 वर्ष, साकिन–चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला–कोरबा (छ0ग0) के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की लिखित आवेदन

क्रमशः–03

पत्र के आधार पर उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

(4) **अपराध क्रमांक 1275/2022 धारा–294,506,34 भादवि**– दिनांक 22.12.2022 के 3.00 बजे अनावेदक द्वारा जी0एम0 चौक के पास एक राय होकर मानिकपुर में गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देने पर प्रार्थी श्री चक्रधर मोहन्ती पिता बंशीधर मोहन्ती उम्र–36 वर्ष, साकिन–दादरखुर्द चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला कोरबा (छ0ग0) के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

(5) **इस्तगाशा क्रमांक 285/2007धारा–107,116(3) जा.फौ.**– अनावेदक के द्वारा झगड़ा करते पाये जाने से शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रतिबंधक कार्यवाही की गई।

(6) **इस्तगाशा क्रमांक 06/2022 धारा–110 जा.फौ.**– अनावेदक के द्वारा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने व लगातार आचरण में सुधार नहीं लाने से अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधक कार्यवाही की गई।

(ब) थाना दीपका, जिला–कोरबा (छ0ग0) में पंजीबद्ध अपराध एवं इस्तगाशा का विवरण–

(1) **अपराध क्रमांक 42/2019 धारा–294,506,153ए,147,149 भादवि** – प्रार्थी मनोज सिंह पिता स्व0 शिव नारायण सिंह उम्र–50 वर्ष साकिन–सुभाष नगर दीपका, जिला–कोरबा (छ0ग0) के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 126/2019 दिनांक 24.07.2019 को तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 25.07.2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(2) **अपराध क्रमांक 21/2021 धारा–395,341,294,506(बी) भादवि** – प्रार्थी सुरेश कुमार गोप पिता घनश्याम गोप उम्र–43 वर्ष साकिन–बी 26 एसीबी चाकाबुडा, जिला–कोरबा (छ0ग0) के द्वारा अनावेदक ने दिनांक 19.01.2021 के 13.30 बजे रजिता पावर प्लांट में अपने सहयोगियों साथ रास्ता रोककर डकैती कर गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर अनावेदक के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 400/2022 दिनांक 23.12.2022 को तैयार कर माननीय न्यायालय में चालान दिनांक 29.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

क्रमशः–04

(3) **अपराध क्रमांक 22/2021 धारा–395,341,294,506(बी) भादवि** – प्रार्थी आजाद सिंह रंडू पिता उजाला राम रंडू, उम्र–54 वर्ष साकिन–बी–1/17 गरूड़ नगर दीपका, जिला–कोरबा (छ0ग0) के द्वारा अनावेदक ने दिनांक 19.01.2021 के 14.15 बजे रजिता पावर प्लांट में अपने सहयोगियों साथ रास्ता रोककर डकैती कर गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर अनावेदक के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 499/2022 दिनांक 23.12.2022 को तैयार कर माननीय न्यायालय में चालान दिनांक 29.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

(स) पुलिस सहायता केन्द्र रामपुर, जिला–कोरबा(छ.ग.) में पंजीबद्ध अपराध एवं इस्तगाशा का विवरण–

(1) **अपराध क्रमांक 945/2022 धारा–294,506,34 भादवि**–दिनांक 04.10.2022 के रात्रि 11.30 बजे सुभाष चौक में अनावेदक द्वारा गाली–गलौच जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने पर अपराध पंजीबद्ध पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

(2) **इस्तगाशा क्रमांक 680/2021 धारा–107,116(3) जा.फौ.**–घटना दिनांक 01.11.2021 को अनावेदक के द्वारा झगड़ा झंझट करने पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

(द) थाना बांकीमोंगरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में पंजीबद्ध इस्तगाशा का विवरण–

(1) **इस्तगाशा क्रमांक 109/2021, 110/2020 धारा–107,116(3) जा. फौ.**–दिनांक 20.02.2020 को घटना स्थल ग्राम पुरेना थाना बांकीमोंगरा में अनावेदक द्वारा झगड़ा झंझट करने पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध थाना बांकी मोंगरा में उक्त इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

(4) प्रकरण में अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष साकिन–क्वा0नं0–2/9 मानिकपुर चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला–कोरबा (छ0ग0) को छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–08 में निहित प्रावधानों के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके विरूद्ध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निम्नानुसार से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है :–

(1) यह कि, अनावेदक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सदस्य होते हुये एक समाज सेवक है, जिसने जिले में संचालित शासकीय कम्पनियों, विभागों में व्याप्त

क्रमशः–05

भ्रष्टाचार के विरूद्ध देश के नियम, कानून का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों, के विरूद्ध अनेकों शिकायतें संबंधित विभागों/मंत्रालयों में की गई है, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार उजागर हुआ और कार्यवाहियां भी हुई। जिसके फलस्वरूप कम्पनी के अधिकारी, कर्मचारी अनावेदक से व्यक्तिगत वैमनस्यता रखते हैं।

(2) यह कि, अनावेदक ने भ्रष्टाचार एवं सामाजिक मुद्दों पर उसे प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखकर लड़ाई लड़ी है, जिसमें नवम्बर 2021 में एस.ई.सी.एल. मानिकपुर कोरबा के जल, मल शोधन संयंत्र (DEPT) प्रोजेक्ट में हुई अनियमितता में एस.ई.सी.एल. मानिकपुर कोरबा को 15 लाख रूपये पैनाल्टी करवाया गया।

(3) यह कि, जुलाई 2022 में दिनांक 07.04.2022 एवं 21.07.2022 को कटघोरा तहसील से अन्य प्रदेशों के व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से बनवाये गये अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय सत्यापन समिति से जॉच उपरांत निरस्त करवाया गया, उन 23 व्यक्तियों ने छ0ग0 राज्य के अनुसूचित जनजाति सदस्यों से छलकर गेवरा रोड से पेण्ड्रा रोड रेल लाईन के मध्य आने वाली 500 एकड़ जमीन को औने–पौने दाम पर छ0ग0 के अनुसूचित जनजाति सदस्यों से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर क्रय किया और रेल लाईन परियोजना से 40 करोड़ रूपये का मुआवजा लिया। इस प्रकार न सिर्फ शासन के पैसों/राजस्व का नुकसान किया वरन् छत्तीसगढ़ के भोले–भाले आदिवासियों के साथ छल किया है और सआशय उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ/अधिकार से वंचित किया है। यह भी कि, अनावेदक ने कोरबा शहर के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जिसमें विशेषकर संयंत्रों से निकलने वाले राखड़ को यत्र–तत्र फेंकने तथा उक्त राखड़ के उड़ने से होने वाली प्रदूषण एवं उक्त प्रदूषण के फलस्वरूप होने वाले नुकसान तथा उक्त प्रदूषण से उत्पन्न जनस्वास्थ्य की समस्या के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0) में जनहित याचिका WPPLIL क्र. 85/2022 पेश की थी, जो कि, NGT (National Green Tribunal) में प्रस्तुत करने के नाम पर निराकृत करा ली गई है। जिसके फलस्वरूप प्रभावशाली अधिकारी, कर्मचारी निजी कंपनियों के अधिकारी आपस सांठ–गांठ कर अनावेदक को किसी भी प्रकार से उक्त जनहित कार्यों को करने से रोकना चाहते है और उक्त के संबंध में अनावेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करा सकते हैं, जिसकी आशंका अनावेदक ने आज से 01 वर्ष से अधिक समय पूर्व से दिनांक 04.01.2023 को पत्र क्रमांक CSK/607 लिखकर आशंका जताई थी।

क्रमशः–06

(4) यह कि, थाना प्रभारी दीपका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ जरायम सूची में क्रमांक–1 पर दर्ज अपराध क्रमांक 42/2019 अंतर्गत धारा–294,506,153ए,147,149 भादवि दिनांकित 17.02.2019 के संदर्भ में अनावेदक कथन करता है कि, उसकी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा तद्दिनांक को कतिपय विषयों को लेकर अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आंदोलन करने के लिए शासन को विधिवत् सूचना देकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाना था, जिसमें पूर्व सांसद सोहन पोटाई की उपस्थिति में संभावित थी जो कि नहीं आये थे एवं तद्दिनांक को उक्त आंदोलन की शासन को पूर्व सूचना होने के कारण शासन के वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मौजूद थे, जिसके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सी.एस.पी. एवं अनेकों द्वारा थाना प्रभारी एवं पुलिस के अनेकों अधिकारी, कर्मचारी भी शांति व्यवस्था के लिए मौजुद थे, जिन्होंन उक्त शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के दरम्यान एवं धरना समाप्त होने के पश्चात् वापसी सान्हा थाने में दर्ज किया था, जिसके अनुसार घटना पूर्णतः शांतिपूर्ण था। साथ ही तत्कालिन थाना प्रभारी सुमत सोनवानी ने राज्य शासन को एक प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार उक्त घटना प्रदर्शन कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। किसी भी प्रकार की क्षति नहीं की गई। जिसके बावजूद भी ए.सी.बी. कंपनी जिसकी अनियमितताओं के विरूद्ध एवं स्थानीय बेरोजगार युवकों के स्थान पर अन्य राज्यों के युवाओं को रोजगार देने के लिए किये जा रहे आंदोलन के विरूद्ध तत्कालिन पुलिस निरीक्षक ने ए.सी.बी. कंपनी से प्रभावित होकर अनावेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 42/2019 आंदोलन के एक माह पश्चात् दर्ज कर लिया।

(5) यह कि, जरायम सूची के क्रमांक 02 एवं 03 में दर्ज अपराध क्रमांक 21/2021 एवं 22/2021 के संदर्भ में कथन है कि, दिनांक 19.01.2021 को उसी ए.सी.बी. कंपनी के द्वारा श्रमिकों के कार्य अवधि के नियत घण्टे 08 के स्थान पर 12 घण्टे काम लिये जाने के विरूद्ध शासन को विधिवत् सूचना देकर आंदोलन किया जा रहा था, जहां प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर, 02 अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं 02 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, दूसरा पक्ष ए.सी.बी. प्रबंधक तथा तीसरा पक्ष अनावेदक एवं श्रमिक के मध्य उक्त समस्या के संबंध में त्रिपक्षीय वार्तालाप भी हुआ था। साथ ही आंदोलन शांतिपूर्ण हो इसके लिए प्रशासन ने सुचारू पुलिस व्यवस्था जिसमें अनेक पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसके बावजूद आंदोलन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अशांति नहीं होने पर भी ए.सी.बी. कंपनी में प्रभाव में आकर थाना प्रभारी द्वारा उपरोक्त अपराध दर्ज किये गये है।

क्रमशः–07

(6) यह कि, जयराम सूची के क्रमांक 06 दर्ज अपराध क्रमांक 437/2018 के संदर्भ में कथन है कि, तद्दिनांक को अनावेदक दिलीप मिरी के अनुपस्थिति के बावजूद तत्कालिन चौकी प्रभारी राजेश चन्द्रवंशी ने झूठी शिकायत अपने मातहत कर्मी से करवाई है। तत्संबंध में घटना दिनांक को सी.सी.टी.व्ही. फुटेज एवं अनेकों मोबाईल से लिये गये वायरल विडियों से प्रमाणित है कि, तद्दिनांक को दिलीप मिरी अनावेदक मौजूद नहीं था। फिर भी तत्कालिन चौकी प्रभारी द्वारा मात्र अनावेदक के जरायम सूची को लम्बा करने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है।

(7) यह कि, जरायम सूची 04 एवं 05 में दर्ज अपराध क्रमांक 601/2024 एवं 455/2015 वर्षो पुराने मामले है, जिसमें भी अनावेदक को मिथ्या आलिप्त किया गया है, उक्त दोनों अपराधों के पुनरावृत्ति आज पर्यन्त अनावेदक द्वारा नहीं की गई है। सूची अनुसार साथ में दर्ज अपराध क्रमांक 1275/2022 में अनावेदक की कोई संलिप्तता नहीं रही है। उक्त चक्रधर मोहंती कलिंगा नामक कंपनी में मैनेजर था और उसके द्वारा भूविस्थापित स्थानीय लोागों के परिजनों से इतर 150 की संख्या में अन्य प्रदेशों से श्रमिक लगाकर नियोजित किये जा रहे थे, जिसके विरोध में स्थानीय भूविस्थापित के साथ विवाद की स्थिति में चक्रधर मोहंती को चौकी आहुत कर श्रमिकों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना मिलने पर अनावेदक के मात्र चौकी पहुंचने के आधार पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, उसी प्रकार जरायम सूची के क्रमांक 08 पर दर्ज अपराध 945/2022 के संदर्भ में कथ है कि, दीपनंदा स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिसके विरूद्ध ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी की हत्या, मारपीट, वसूली के अनेक मामले दर्ज है और जो कोयला दलाली के कार्य में लिप्त है, जिसे कृष्णा साहू पुलिस इंस्पेक्टर का संरक्षण प्राप्त था, के द्वारा मिथ्या आधारों पर पुलिस से प्रभावित होकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार प्रतिबंधात्मक कार्यवही के इस्तगाशा पुलिस द्वारा विद्वेषपूर्ण तरीके से अनावेदक को फंसाने के लिए दर्ज किये गये है। जिसके संबंध में पूर्व में भी तत्कालिन जिलाधीश महोदय को अनावेदक द्वारा शिकायत की गई है।

(8) यह कि, अनावेदक कानून का भय मानने वाला एवं अपने व समाज के अधिकारों के लिए जागरूक रहने वाला व्यक्ति है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत् देश के कानून के परिपालन कर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय बेरोजगार युवकों के हक छिनने वाला कंलिगा, ए.सी.बी. जैसी कंपनी तथा कतिपय पुलिस अधिकारी जो उक्त कंपनी से प्रभावित है। अनावेदक से रंजिश रखते हुए और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनावेदक को झूठे मामले में फंसाना चाहते है कि वह (अनावेदक) स्थानीय श्रमिकों, बेरोजगारों तथा भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे न उठाये।

क्रमशः—08

अतः अनावेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रस्तुत जिला बदर की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन है।

(5) प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य श्री युवराज तिवारी, निरीक्षक थाना प्रभारी, थाना दीपका, जिला–कोरबा (छ0ग0) दिनांक 15/04/2024 को उपस्थित होकर अपना शपथ पूर्वक बयान में बताया गया कि –''अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष निवासी–क्वा0नं0 2/9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली का निवासी है, जो वर्ष 2008 से 2022 तक लगातार अपराध घटित करते आ रहा था, जिसके आचारण में सुधार करने के लिये 08 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया, जिसके बावजूद भी आचारण में सुधार नहीं होने पर इसके क्रियाकलापों पर निगाह रखने के लिये अनावेदक को गुण्डा सूची में लाकर लगातार नजर रखी जा रही है। बावजूद इसके अनावेदक राजनीतिक पार्टी के आड़ में छत्तीसगढ़िया एवं बाहरी व्यक्तियों का भेद बताकर लोगों को भड़का कर सामाजिक सौहार्द्र, सामंजस्य एकता एवं अखण्डता भंग करने का प्रयास करता है। अनावेदक वर्ष 2007 से लगातार अपने साथियों के साथ थाना कोतवाली, चौकी मानिकपुर, थाना बांकीमोंगरा एवं थाना दीपका क्षेत्र में सक्रिय होकर अपराध कर रहा है। अनावेदक का भय समाज में इतना ज्यादा है कि पीड़ित व्यक्ति इसके खिलाफ थाना में रिपोर्ट भी लिखवाना नहीं चाहता है। अभी तक की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया है और न ही इसके अपराधिक प्रवृत्ति पर भी अंकुश लग पाया है। जन सामान्य की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण स्थापित करने हेतु अनावेदक के विरूद्ध छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक दिलीप मिरी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग मोहित नाथ द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया–

अनावेदक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नामक राजनीतिक पार्टी का आड़ लेता है। मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को इस आधार पर राजनीतिक पार्टी कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य के रूप में लोगों को एकत्रित करता है और आंदोलन को अंजाम देता है। यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है।

यह कहना सही है कि हमारे थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यदि कोई आंदोलन विधिक अनुमति से आयोजित होता है तो कानून व्यवस्था के लिये पुलिस प्रशासन मौजूद हेता है। यह कहना सही है कि कोई भी आंदोलन समाप्ति के उपरांत थाना में सान्हा डाला जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासन को

क्रमशः–09

सूचित किया जाता है। यह कहना सही है कि जो सान्हा डाला जाता वह संबंधित आंदोलन में घटित घटनाओं की सूचना होती है। यह कहना सही है कि उक्त सान्हा में आंदोलन से संबंधित घटनाओं की सत्य सूचना दर्शित की जाती है। साक्षी स्वतः कहता है कि कई बार सान्हा में पूर्ण सूचना दर्ज करने से छुट जाती है। यह कहना सही है कि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दिनांक 17.02.2019 का सान्हा मैंने पढ़ लिया है। उक्त सान्हा थाना दीपका से संबंधित है जो प्रदर्श डी–1 है। यह कहना सही है कि जरायम सूची के क्रमांक 01 पर दर्ज थाना दीपका का अपराध क्रमांक 42/2019 दिनांक 17/02/2019 से संबंधित है। यह कहना सही है कि अपराध क्रमांक 42/2019 थाना दीपका के सान्हा दिनांक 17/02/2019 प्रदर्श डी–1 में दर्शित आंदोलन से ही संदर्भित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 के सान्हा के अनुसार दिनांक 17/02/2019 को डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 02 कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारीगण आंदोलन की कानून व्यवस्था के लिये मौजूद थे, अनेको मातहत पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। तत् दिनांक को संबंधित पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 के अनुसार पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन में आंदोलन को गंभीरता से लिया जाना लेख किया था और उसके पश्चात् यह भी लेख किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 के सान्हा में आंदोलन के शांतिपूर्ण होने का लेख किया गया है, यह कहना सही है कि आंदोलन के पश्चात् पुलिस अधिकारी, कर्मचारी थाना वापस जाकर थाने में 17.35 बजे वापसी सान्हा दर्ज किये थे।

यह कहना सही है कि मानिकपुर, कुसमुण्डा, दीपका, बांकीमोंगरा जैसे स्थान कोयला खानों से संबंधित क्षेत्र है। यह कहना सही है कि उपरोक्त स्थानों में से कुछ पर अनेक निजी कोल वॉशरी स्थापित है। यह कहना सही है कि उक्त क्षेत्रों के श्रमिक एवं भू–विस्थापित आमतौर पर इस बात के लिये आंदोलनरत् रहते है कि उनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, परन्तु उनको मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी गई। यह कहना सही है कि चूंकि मैं थाना दीपका में वर्तमान में प्रभारी हूँ, वर्तमान प्रकरण मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इस कारण मैं जरायम सूची के क्रमांक 01, 02 व 03 में क्रमशः दर्शित अपराध क्रमांक 42/2019, 21/2021 एवं 22/2021 का अध्ययन किया हूँ। यह कहना सही है कि अपराध क्रमांक 21/2021 एवं 22/2021 दिनांक 19/01/2021 को घटित घटना से संबंधित है। मैं आज नहीं बता सकता कि दिनांक 19/01/2021 को ए.सी.बी. रतिजा पावर प्लांट के समक्ष आंदोलन हुआ था। साक्षी स्वतः कहते है कि उस वक्त मेरी पदस्थापना नहीं थी। यह कहना सही है कि वर्तमान प्रकरण के जरायम सूची में

क्रमशः–10

दर्ज अपराध क्रमांक 21/2021 एवं 22/2021 के संदर्भ में दिनांक 19/01/2021 का थाना दीपका का रोजनामचा सान्हा नहीं देखा था। साक्षी से यह पूछे जाने पर यदि आपने दिनांक 19/01/2021 का थाना दीपका रोजनामचा सान्हा देखा होता तो आप बता सकते थे, कि तद् दिनांक विविधिवत् सूचना उपरांत ए.सी.बी. रतिजा पावर प्लांट के समक्ष धरना आंदोलन था, जिस पर साक्षी का उत्तर था कि मैं सान्हा नहीं देखा था, इसलिए नहीं बता सकता हूँ। मैं यह भी नहीं बता सकता है कि तद्दिनांक को आंदोलन के दौरान त्रिपक्षीयवार्ता ए.सी.बी.प्रबंधन, प्रशासन जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाली एवं श्रमिक संगठन के मध्य हुई थी। मैं यह भी नहीं बता सकता है तद् दिनांक को हुये आंदोलन के शांतिपूर्ण होने की सूचना सान्हे में दर्ज की गई थी।

यह कहना गलत है कि सभी तीनों अपराध क्रमांक 42/2019, 21/2021 एवं 22/2021 आंदोलन के समय के है, यह कहना भी गलत है कि ए.सी.बी. कंपनी से अन्यथा प्रभावित होकर अनावेदक पर तत्कालिन थाना प्रभारी ने झूठा प्रकरण दर्ज किया। यह कहना गलत है कि मैं आज अपराध क्रमांक 21/2021 एवं 22/2021 दिनांकित 19/01/2021 का सान्हा नहीं पढ़ने की बात झूठी बता रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं दिनांक 19/01/2021 का संपूर्ण सान्हा अध्ययन किया था और जानबूझकर आज तद्दिनांक के आंदोलन के विषय में सही जानकारी नहीं दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि मैं प्रकरण में अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न दिलीप कुमार मिरी के विरूद्ध अपराध किये गये सूची एवं की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की सूची और चालान किये गये अपराधों में गवाहों की सूची के नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं किया है।

(6) प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेजों, अनावेदक का लिखित जवाब, थाना प्रभारी थाना दीपका एवं चौकी प्रभारी मानिकपुर का अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष साकिन–क्वाटर नंबर–2/9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला–कोरबा (छ0ग0), लूटपाट गाली गालौच, मारपीट करना तथा जुआ खेलने जैसे अपराधिक कृत्यों में संलप्ति है। जिले के विभिन्न थाना में अनावेदक के विरूद्ध 08 अपराधिक एवं 05 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

अनावेदक उक्त अपराध कारित करने के फलस्वरूप अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इनके अपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आया है, इसके क्रियाकलाप में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। आम लोग

क्रमशः–11

इसके विरूद्ध अपराध दर्ज कराने से कतराते है, जिससे समाज में इसका काफी आतंक व भय बना हुआ है, अनावेदक लगातार अपराध घटित कर आतंक फैला रहा है। कोरबा जिला औद्योगिक जिला होने से अन्य प्रदेश से ट्रांसपोर्टर एवं ठेकेदार आते है, जिसे अनावेदक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सदस्य होने के आश्रय लेकर डरा धमका कर अवैध वसूली करता है, जिसे ठेकेदार अपना ठेकेदारी छोड़ कर भाग जाते है, जिसे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षति होती है। इसके अपराधिक गतिविधियों से ट्रांसपोर्टर एवं ठेकेदारों अपराध दर्ज कराने से कतराते है, जिसे इनका हौसला और भी बढ़ता रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में भय का माहौल ब्याप्त है, जो इस प्रकार से अनावेदक के अपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार से सुधार नहीं होना परिलक्षित होता है।

अनावेदक के लगातार अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहने से आम जनता को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं जन सामान्य की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण स्थापित करने हेतु अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष साकिन–क्वाटर नंबर–2/9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला–कोरबा (छ0ग0) के अपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–5(ख) के तहत् किसी अपराध के करने में या ऐसी किसी अपराध के दुष्प्रेरणा में संलग्न है या संलग्न होने को आमदा है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साक्षीगण अपने शरीर या सम्पति की सुरक्षा के बारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण, खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामन्द नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से आम जनता को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3,5 के तहत् कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है।

अतः **मैं अजीत वसंत, जिला दण्डाधिकारी, जिला–कोरबा (छ0ग0),** छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा–3 एवं 5 के प्रावधानों के तहत् यह आदेश देता हूँ कि अनावेदक दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी, उम्र–37 वर्ष साकिन–क्वाटर नंबर–2/9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला–कोरबा (छ0ग0) को **आगामी 01(एक) वर्ष** के लिए जिला कोरबा एवं समीपवर्ती जिला क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले (जिला बदर) जावे। अनावेदक इस न्यायालय की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश

क्रमशः–12

के तामील होने के 01 (एक) वर्ष की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नही करेगा। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जावे। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा, तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज **दिनांक 14/11/2024** को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

14/11/24

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)